"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 565] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015 — अग्रहायण 26, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 26, 1937)

क्रमांक-11329/वि. स./विधान/2015 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 32 सन् 2015) जो गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 32 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) की धारा 6 की उप-धारा (5) में, शब्द एवं अंक "अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय" के पश्चात्, शब्द एवं अंक "तथा अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय" अंत:स्थापित किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के प्रवर्तन तथा याचिका दायर करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय की अधिकारिता बहाल करने के लिये, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) के प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

राजेश मूणत
आवास एवं पर्यावरण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 एवं प्रस्तुत विधेयक की धारा 6 (5) का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 6 (5) अधिकरण के क्रियाशील होने की तिथि से, जो तिथि राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी, संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अलावा, समस्त न्यायालयों का कार्यक्षेत्र, प्रत्येक ऐसे विषयों के संबंध में जो अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता हो, अपवर्तित माना जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.